

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण पूर्व

क्रमांक :- 2056

दिनांक :- 4/4/19

श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

विषय:- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत के संबंध में वांछित कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान का पत्र क्रमांक 84 दिनांक 03.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त परिवाद क्रमांक 3190275341580 दिनांक 06.03.2019 के क्रम में निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत में वर्णित मदिरा दुकान महल रोड एनआरआई चौराहा जयपुर की लोकेशन राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार स्वीकृत की गई है। स्वीकृत मदिरा दुकान से 200 मीटर की परिधि में नियम 75 में वर्णित कोई भी धार्मिक व शैक्षणिक स्थान अवस्थित नहीं है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय



(उमेश चन्द्र गुप्ता)

आबकारी निरीक्षक वृत्त दक्षिण-पूर्व
जयपुर शहर